

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	542]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2018/श्रावण 15, 1940
No.	542]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2018/SHRAVANA 15, 1940

## गृह मंत्रालय

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

**सा.का.िन. 741(अ).**—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 644(3), तारीख 12 जुलाई, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 12 जुलाई, 2018 में प्रकाशित की गई थी, के नियम 2 में,-

- (i) "आयुद्ध नियम, 2016 में,-", के स्थान पर, "आयुद्ध नियम, 2016 के नियम 15 में,-" पढ़ें ;
- (ii) पहले परंतुक में,-
  - (क) "निर्बंधित प्रवर्ग या आयुद्ध या गोला-बारूद के लिए अनुज्ञप्ति का धारक" के स्थान पर, "निर्बंधित प्रवर्ग का आयुद्ध या गोला-बारूद के लिए अनुज्ञप्ति का धारक" पढ़ें;
  - (ख) "अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)" के स्थान पर, "अनुज्ञप्तिधारी की विद्यमान विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) :" पढ़ें।

[फा.सं. 11026/133/2017-आयुद्ध]

एस सी एल दास, संयुक्त सचिव

4582 GI/2018 (1)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### **CORRIGENDUM**

New Delhi, the 3rd August, 2018

- **G.S.R. 741(E).**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 644 (E) dated the 12<sup>th</sup> July,2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 12<sup>th</sup> July, 2018, in rule 2,
  - (i) For "In the Arms Rules, 2016,—", read "in rule 15 of the Arms Rules, 2016,—";
  - (ii) In the first proviso,—
    - (a) for "holder of a licence for Restricted Category or arms", read "holder of a licence for Restricted Category of arms";
    - (b) For "existing UIN of the licencee;", read "existing UIN of the licencee: ".

[F.No. 11026/133/2017-Arms]

S C L DAS, Jt. Secy.